बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–मु०अ०–4(मु०)रा०यो०–07–02A / 2023 - 6190 / पटना, दिनांक– 06/12/23

प्रेषक,

संजय दूबे, भा० प्र० से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– **योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के खगड़िया जिलान्तर्गत के कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन मानसी प्रखण्ड के "मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बुढ़ी गंडक नदी पर 7 x 25 मीटर आकार के पुल का निर्माण" योजना की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के खगड़िया जिलान्तर्गत के कार्य प्रमंडल, खगड़िया के अधीन मानसी प्रखण्ड के "मानसी मंदिर चौक से मुंगेर जिला के टीकारामपुर पंचायत के बनारसी राय टोला में बुढ़ी गंडक नदी पर 7 x 25 मीटर आकार के पुल का निर्माण" योजना जिसकी कुल **लम्बाई 185.82 मी० के निर्माण की स्वीकृत राशि ₹ 1318.75 लाख** रुपये की जगह पुनरीक्षित लम्बाई **185.82 मी० तथा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदन की राशि ₹ 2044.634 लाख रुपये, (बीस करोड़ चौबालीस लाख तिरसठ हजार चार सौ रुपया मात्र) है– हेतु पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगडिया इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय– 103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. इस योजना के निर्माण की राशि एवं कटिजेंसी की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
5. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 900.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।

Shekhar

6. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, सहरसा एवं मुख्य अभियंता–2 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
7. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. लोक वित्त समिति के अनुमोदनोपरांत इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार बिहार मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 03.11.2023 की बैठक में मद संख्या–6 के रूप में प्रदान की गयी है।
9. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
10. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, खगड़िया (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/ विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
11. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
12. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०–4(मु०) रा०यो०–07–02A /2023 के पृष्ठ संख्या– 28 /टि० पर दिनांक 01/12/2023 को प्राप्त है।
13. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
14. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
15. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।
16. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।
17. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

5/12/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

Shekhar

ज्ञापांकः– मु०अ०–4(मु०)रा०यो०–07–02A / 2023 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०–4(मु०)रा०यो०–07–02A / 2023 / पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० /
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०–4(मु०)रा०यो०–07–02A / 2023 - 6190 / पटना, दिनांक– 06/12/2023

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग(आय–व्यय शाखा) / आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग / मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग / कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग / प्रमंडलीय आयुक्त, खगड़िया / जिला पदाधिकारी, खगड़िया / उप विकास आयुक्त, खगड़िया / अभियंता प्रमुख सह–सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग / मुख्य अभियंता–4 (मु०), ग्रामीण कार्य विभाग / अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सहरसा / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खगड़िया / मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या लोक कम्पलेक्स, पाँचवी मंजिल) डाक बंगला रोड पटना / आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/12/2023
विशेष सचिव

Shekhar